ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–91/2023 दायर दिनांक– 13.6.2023

CMS NO:- 2023/138 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

नीलू पत्नी महावीर जाति मीना नि0 मोतीपुरा।

प्रार्थीया

बनाम

भूमिधारी राजस्थान सरकार, जर्ये श्रीयुत श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीया की ओर से अभिभाषक श्री शांतीलाल मीणा।

निर्णय दिनांक 12.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम अरियाली (नवीन) प0म0 करवर मे जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के वर्तमान खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.5472 हैक्टयर स्थित है जिसका खातेदार आसामी प्रार्थीया है जो इसी हैसियत से काबिज काश्त चली आ रही है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के समीप अन्य खातेदारों की कृषि भूमियां स्थित है जो अक्सर प्रार्थीया के उक्त वर्णित खाते की भूमि की सीमा के संबंध मे प्रार्थीया से विवाद करते रहते है इसलिए प्रार्थीया मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद किसी से भी नही करना चाहती है जिससे प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है।

यह कि आये दिन पडोसी खातेदार प्रार्थीया से भूमि की सीमाओं को लेकर लडाई झगडा करते है। जिससे प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा, शपथ पत्र आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमनें प्रार्थना पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे कार्यवाही चलते लगभग 2 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व मे हुए उक्त खाता संख्या 56 के सीमाज्ञान की प्रति भी पेश की हुई है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम अरियाली (नवीन) के खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 2988 रकबा 0.6472 हैक्टयर पर **प्रार्थीया का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो** नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

नैनवॉ